अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–6/विविध–164/2010– /पटना, दिनांक..........................

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)।
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।
पथ निर्माण विभाग।

विषय :– अन्य विभागों के संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निम्न संवेदकों के निबंधन को काली सूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1.	श्री रामएकबाल भगत, एम0डी0–नील कमल टेक्नोक्रेट प्रा0 लि0, पता–मेन रोड, वीरपुर, वार्ड नं0–08, पो0–वीरपुर, जिला–सुपौल पिन–854340 निबंधन सं०–49/2016, श्रेणी–प्रथम	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–592 दिनांक–16.02.18 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को अगले 10 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया।
2.	कमलादित्य कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0, निदेशक–राजेन्द्र प्रसाद सिंह, प्लॉट नं0–201, कॉपरेटिव कॉलोनी, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो (झारखण्ड) पिन–827001 निबंधन सं०–11/2011, श्रेणी–प्रथम	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–412 दिनांक–06.02.18 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को अगले आदेश तक के लिए काली सूची में डाला गया।
3.	मेसर्स अजय एसोसिएट, 37 मोहद्दीपुर, गोरखपुर निबंधन सं०–446/2009	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–05 दिनांक–01.01.18 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को 15 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया।
4.	श्री जयाराम लमिछाने पा0 स्वच्छंद निर्माण सेवा प्रा0 लि0, वार्ड नं0–12, स्युचारटार काठमांडू, नेपाल निबंधन सं०–09/2013, श्रेणी–प्रथम तथा 29/2015 श्रेणी–प्रथम	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–160 दिनांक–15.01.18 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को अगले 10 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया।
5.	M/s Shiva Consultancy Service (P) Ltd. A-87, L.F.G. Malviya Nagar, Main Shivalik Road, New Delhi-110017	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार	कार्यालय आदेश सं0–IDA/00/27/18 सहपठित ज्ञापांक–111/Tech दिनांक-16.01.18 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को अगले 05 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया।

P.T.O.

6.	श्री राकेश कुमार सिंह, ग्राम–कुड़िया बंगरी, पो0–बंगरी, जिला–पूर्वी चम्पारण निबंधन सं०–अ0प्र0 (ग्रा0का0वि0)–665/2012,	Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited	ज्ञापांक–4026 दिनांक–11.01.18 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को अगले 05 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया।
7.	श्री संतोष कुमार चौधरी, ग्राम+पो0–महिषि, जिला–सहरसा, पिन–852216 निबंधन सं०–70/2015, श्रेणी–द्वितीय	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–267 दिनांक–23.01.18 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को अगले 05 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–
(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक–प्र०–6/विविध–164/2010– 2021 (E) /पटना, दिनांक 16/3/18

प्रतिलिपि :–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को अनुलग्नक एवं CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०:–यथोक्त।

16/3/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
16.3.18

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पटना, दिनांक–

आ0सं0– 11 / मु0–06–14 / 2017–

आदेश

कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल कोपरिया के अंतर्गत वर्ष 2016 में परक्यूपाईन निर्माण हेतु नामांकन के आधार पर संवेदक श्री संतोष कुमार चौधरी, सहरसा को कार्य आवंटित की गयी।

संवेदक द्वारा कराये गये उक्त कार्य के विरुद्ध परिवाद प्राप्त होने पर जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता के जाँच के क्रम में संवेदक द्वारा कराये गये परक्यूपाईन की निर्माण कार्य गुणवत्ता की जाँच शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–02 से करायी गयी तथा जाँच में पाया गया कि संवेदक द्वारा कराया गया कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं है।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक–3913 दिनांक–02.11.17 द्वारा कारण पृच्छा की गई। जिसके आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक–28.11.2017 को कारण–पृच्छा का जवाब दिया गया तथा कार्य की गुणवत्ता के प्रमाण के रूप में कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमंडल, वीरपुर (सुपौल) का गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन संलग्न किया गया। उड़नदस्ता अंचल द्वारा कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (बाढ़ नि0 एवं जल नि0) प्रमंडल वीरपुर के जाँच प्रतिवेदन को संज्ञान में लेते हुए समीक्षा किया गया तथा संवेदक द्वारा कराये गये कार्य को निम्न विशिष्टि का पाया गया है।

संवेदक द्वारा कार्य को विशिष्ट के अनुरूप नहीं कराना बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के नियम 11 (क)(ii) में वर्णित कदाचार की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य के लिए संवेदक श्री संतोष कुमार चौधरी, सहरसा के निबंधन संख्या–70 / 2015 (श्रेणी द्वितीय) पाँच वर्षों के लिए कालीसूची में डाला जाता है।

(अरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

पटना, दिनांक–

ज्ञापांक–

प्रतिलिपि:– श्री संतोष कुमार चौधरी, ग्राम+पो0– महिषि, जिला– सहरसा, पिन–852216 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

पटना, दिनांक– 23.01.18

ज्ञापांक– 267

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मो0 अंचल , पटना/ अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो0 अंचल 2 एवं 3 पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0मैनेजर को विभागीय, वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

TSC-1/ON DESKTOP/TSP/01-18/Sec-11

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited

BMSICL

संचिका सं0 :– BMSIC/80035/04-2017/

दिनांक:–

कार्यालय आदेश

संवेदक श्री राकेश कुमार सिंह, ग्राम–कुड़िया बंगरी, पो0–बंगरी, जिला–पूर्वी चम्पारण निबंधन सं0 अभि0प्रमुख(ग्रा0का0वि0)–665/12 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजनान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल मढ़ौरा, जिला सारण में ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान–सह–छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु निविदा में भाग लिया गया था। कार्य प्राप्त करने हेतु संवेदक के द्वारा अग्रधन एवं जमानत की राशि के लिए बैंक गारंटी जमा की गई थी जिसे जाँच केक्रम में गलत पाया गया जिसके लिए संवेदक से कारण पृच्छा भी की गई थी पत्रांक BMSIC/80035/04-2017/2581 दिनांक 16.10.2017, परंतु संवेदक द्वारा इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

अतः ITB के सेक्शन 1 Award of contract Corrupt of Fraudulent Practices के Sub-clause 33.1 एवं राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत ठीकेदारी नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के Clause (vii) के आलोक में संवेदक श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा समर्पित निबंधन प्रमाण पत्र सं0 अभि0प्रमुख(ग्रा0का0वि0) 665/12 है, को 5 वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
मुख्य महाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांक :– BMSIC/80035/04-2017/
दिनांक:–

प्रतिलिपि:– संवेदक श्री राकेश कुमार सिंह, ग्राम–कुड़िया बंगरी, पो0–बंगरी, जिला–पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
मुख्य महाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांक :– BMSIC/80035/04-2017/4026
दिनांक:–11-01-2018

प्रतिलिपि:– अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि0)

5th Floor, Biscomaun Bhavan, Gandhi Maidan, Patna 800 001
Phone: +91 612 2219634; Fax: +91 612 2219635
www.bmsicl.gov.in

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

1st Floor, Udyog Bhawan, East Gandhi Maidan, Patna.

Email md@idabihar.com Website-www.idabihar.com, phone: 0612-2675991/2302998/2675914/2675296 Fax: 2675934

कार्यालय–आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 124/00/22/18 पटना, दिनांक 16.01.18

औद्योगिक क्षेत्र एवं EPIP हाजीपुर में Strom Water Drainage का निर्माण कार्य हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना द्वारा नियुक्त रूपांकण परामर्शी M/s Shiva Consultancy Services (P) Ltd. द्वारा उनसे सम्पादित एकरारनामा के अनुसार कार्य नहीं किया गया, जो निम्न प्रकार है–

1. योजना का संपूर्ण नक्शा एक साथ समर्पित नहीं किया जाना।
2. त्रुटिपूर्ण परिमाण विपत्र तैयार किया जाना।
3. परियोजना स–समय पूर्ण कराने में सहयोग नहीं किया जाना।

उपरोक्त के संबंध में रूपांकण परामर्शी को प्राधिकार के पत्रांक 2010/Tech. दिनांक 28.11.17 द्वारा M/s Shiva Consultancy Services (P) Ltd. को स्पष्टीकरण निर्गत किया गया था जिसके आलोक में रूपांकण परामर्शी का जबाव स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि रूपांकण परामर्शी M/s Shiva Consultancy Service (P) Ltd. A-87, L.F.G. Malviya Nagar, Main Shivalik Road, New Delhi- 110017 द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता एवं समय पर नक्शा उपलब्ध कराने में अभिरूचि नहीं लेने के लिए रूपांकण परामर्शी पूर्णतः दोषी है।

अतः संवेदक के कृत्य को एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में प्रावधानित शर्तों को अनुपालन नहीं करने के कारण इनके निबंधन सं0– 0 दिनांक 20.08.2009 को 05 (पाँच) वर्षों के लिए काली सूची में डाला जाता है।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

(संचिका सं0– 08/02/Tech./IDA/15 दिनांक 09.01.2018)

ह0/

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक .... 08/02/Tech./IDA/15 दिनांक ....

प्रतिलिपिः M/s Shiva Consultancy Service (P) Ltd. A-87, L.F.G. Malviya Nagar, Main Shivalik Road, New Delhi- 110017 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

(187)

दिनांक 16-01-18

ज्ञापांक 111/Tech

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना एवं विकास विभाग /ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/बिहार राज्य पथ निर्माण निगम लि0, पटना/बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0, पटना/बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना/बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/बिहार राज्य पथ निर्माण निगम लि0, पटना/भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 16-1-18

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ0सं0-11/विविध-06-08/2016- पटना, दिनांक-

आदेश

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर परिक्षेत्राधीन शीर्ष कार्य प्रमंडल वीरपुर पश्चिमी ब्राहमोत्थान बाँध के कि0मी0-0.00 से 8.00 तक एवं पूर्वी तटबंध प्रमंडल वीरपुर के अंतर्गत ब्राहमोत्थान बाँध के कि0मी0-18.81 से महेन्द्र राजमार्ग तक सड़क निर्माण कार्य सवंदेक स्वच्छंद निर्माण सेवा प्रा0 लि0, काठमांडू, नेपाल को आवंटित किया गया।

उक्त निविदा में संवेदक द्वारा जाली कागजात समर्पित करने का परिवाद प्राप्त हुआ। प्राप्त परिवाद के आलोक में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र एवं On Going Work संबंधी कागजात का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के क्रम में पाया गया कि संवेदक द्वारा On going work को Existing Commitment छुपाया गया है।

जिसके आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक-5892 दिनांक-09.11.16 द्वारा कारण पृच्छा की गयी।

संवेदक द्वारा दिनांक- 04.09.2017 को कंपनी का पता परिवर्तन होने संबंधी सूचना विभाग को दिया गया। कंपनी के नये पते पर विभागीय पत्रांक- 5892 दिनांक-09.11.16 की छायप्रति भेजते हुए अपना कारण-पृच्छा दायर करने का एक और मौका दिया गया। जिसके आलोक में संवेदक द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर कारण-पृच्छा समर्पित करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी।

अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि संवेदक द्वारा विभाग में दो निबंधन कराया गया है। संवेदक द्वारा विभाग में दो निबंधन कराने का क्या औचित्य है इस संबंध में पुनः विभागीय पत्रांक-4626 दिनांक-19.12.2017 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। जिसके आलोक में भी संवेदक द्वारा कारण-पृच्छा का जबाव नहीं दिया गया।

उपर्युक्त कृत्य संवेदक के संदेहास्पद आचरण को परिलक्षित करता है तथा संवेदक द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए जाली कागजात समर्पित करना बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के नियम 11 (क)(vii) में वर्णित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित पाते हुए उनके निबंधन संख्या-09/2013 (श्रेणी-प्रथम) तथा 29/2015 (श्रेणी-प्रथम) को दस वर्षों के लिए काली सूची में डाला जाता है एवं कंपनी के पाँचों साझीदार क्रमशः जयाराम लगिछाने, भैसेपट्टी, ललितपुर, किरण कृष्णा जोशी, कालीमाटी-13 काठमांडू, नारायण प्रसाद भूसाल, कलंकी 14 काठमांडू, अजय लाल श्रेष्ठ नेपाल एवं पुष्पलाल श्रेष्ठ नेपाल को अगले दस वर्षो तक विभाग में व्यक्तिगत रूप से भी निबंधित नहीं किया जाएगा।

(अरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- श्री जयाराम लगिछाने पा0 स्वच्छंद निर्माण सेवा प्रा0लि0, वार्ड0 संख्या- 12, स्युचाटार काठमांडू, नेपाल को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

कृ0पृ0उ0-2

TSC-1/ON DESKTOP/ISP/01-18/Sec-11

F-85

ज्ञापांक-- 160 पटना, दिनांक-- 15-01-2018

प्रतिलिपि:-- प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण
विभाग, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/भवन निर्माण विभाग, पटना/ लघु जल
संसाधन विभाग, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन
विभाग/ अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मो0 अंचल, पटना/ अधीक्षण अभियंता
योजना एवं मो0 अंचल 2 एवं 3 पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन जल संसाधन
विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश सं0–14 / अ0प्र0–3–33 / 15– 05 पटना, दिनांक– 01.01.18

संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 954 अनु0, दिनांक 27.[illegible] बेतिया जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल बगहा 2 में भलाही टोला से भूईधरवा पथ एवं अन्य सात [illegible] सं0–बीआर–37आर–067) में संवेदक मेसर्स अजय एसोसिएट, 37 मोहद्दीपुर, गोरखपुर (निबंधन संख्या–446 / 2009) द्वारा एकरारनामा के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने की सुचना प्रदान करते हुए संवेदक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त सुचना के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक 5715 अनु0, दिनांक 27.05.15 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पृच्छा की गई, जिसके आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 08.07.15 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति मुख्य अभियंता 3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना [illegible] हुए स्पटीकरण की समीक्षा कर मंतव्य की मांग की गई। मुख्य अभियंता 3, ग्रामीण कार्य विभाग, [illegible] पत्रांक 6108, दिनांक 25.09.17 द्वारा समर्पित मंतव्य में उक्त संवेदक को काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा की गई।

अतः उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक मेसर्स अजय एसोसिएट, 37 मोहद्दीपुर, गोरखपुर (निबंधन संख्या–446 / 2009) को विभागीय अधिसूचना संख्या–8123, दिनांक 19.12.07 की कंडिका– 11 (क) की उप कंडिका (VI) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154, दिनांक 18.06.2015 की कंडिका 8 के कमांक 1 की उप–कंडिका (बी) के तहत 15 (पंद्रह) वर्षो के लिए विभागीय काली सूची में डाला जाता है।

(शंकर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–3–33 / 15– 05 पटना, दिनांक– 01.01.18
प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडेल पदाधिकारी (मु0) ग्रामीण कार्य विभाग / मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–3–33 / 15– 05 पटना, दिनांक– 01.01.18
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बगहा 2 को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आप अपने स्तर से भी उक्त संवेदक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–3–33 / 15– 05 पटना, दिनांक– 01.01.18
प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया इस पत्र को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बगहा 2 के पते पर ई–मेल तथा विभागीय साईट पर अपलोड करें।

अभियंता प्रमुख

पत्र संख्या – 11/विविध – 02 –02/2016.........

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आदेश

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी परिक्षेत्राधीन सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ अन्तर्गत सुअरा दायीं नहर के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित एकरारनामा संख्या – 01/एस0बी0डी0/2014 – 15 दिनांक 01.07.2014 कमलादित्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, बोकारो (झारखंड) को आवंटित किया गया था। एकरारनामा के शर्तों के अनुरुप तथा विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा समय – समय पर दिये गए निर्देश के बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने एवं कार्य को ससमय पूर्ण नहीं करने के लिए संवेदक को विभागीय आदेश ज्ञापांक 2486 दिनांक 05.05.2016 द्वारा 10 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया था।

संवेदक कमलादित्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, बोकारो (झारखंड) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल0पी0ए0 संख्या 1153/2017 के मामले में दिनांक 09.10.2017 को पारित न्याय–निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 4497 दिनांक 11.12.2017 से संवेदक को काली–सूची से मुक्त कर दिया गया।

उक्त वाद में पारित न्यायादेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ द्वारा मामले की नये सिरे से पुनर्समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि कार्य को पूर्ण करने में संवेदक द्वारा घोर लापरवाही एवं टालमटोल की नीति अपनाई गई और कार्य को ससमय पूर्ण नहीं करने हेतु संवेदक द्वारा दिये गये अन्यान्य कारणों को निरर्थक एवं भ्रामक पाया गया है। इसको दृष्टिपथ में रखते हुए कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ द्वारा पत्रांक 1324 दिनांक 30.11.2017 से कार्य एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया।

संवेदक द्वारा कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं लेने एवं घोर लापरवाही तथा टालमटोल की निति को अपनाने का कृत्य बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली – 2007 के नियम 11 (क) (ii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में पाते हुए विभागीय पत्रांक 4763 दिनांक 29.12.2017 द्वारा संवेदक से कारण – पृच्छा किया गया।

पत्रांक – KCPL/WRD/2017–18/P-6 दिनांक 15.01.2018 से संवेदक द्वारा दिए गए कारण–पृच्छा के जबाव में कार्य के संदर्भ में तथ्यात्मक विन्दुओं का उल्लेख न करते हुए मात्र यह कहा गया कि एकरारनामा विखंडन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO.- 19379/2017 दायर किया गया है। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी तरह के आदेश पारित होने की सूचना अभी तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संवेदक कारण–पृच्छा में उल्लेखित आरोप के विन्दुओं पर जबाव नहीं देना चाहते हैं। कार्य एकरारनामा के विखंडन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर देने मात्र से संवेदक को निर्दोष नहीं माना जा सकता है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा में कोई विचारणीय तथ्य नहीं है और कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं लेने एवं घोर लापरवाही तथा टालमटोल की निति को अपनाने के लिए संवेदक पूर्णतः दोषी हैं।

अतः संवेदक के कृत्य को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) (ii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित मानते हुए कमलादित्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, बोकारो के निबंधन संख्या – 11/2011 (प्रथम श्रेणी) को अगले आदेश तक के लिए काली–सूची में डाला जाता है।

ह0/–

(अरुण कुमार)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।